



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54384

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 367/2026

संदीप गुप्ता

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अरविन्द कुमार गुप्ता, सैयद इरफान अली

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.) राम अवध मौर्या

न्यायालय सं० - 70

माननीय न्यायमूर्ति सन्तोष राय

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल पूरक शपथपत्र पत्रावली पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद इरफान अली, श्री राम अवध मौर्या के संक्षिप्त प्रपत्र पर श्रीमती बब्ली मौर्या, अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
3. यह अभियुक्त-आवेदक **संदीप गुप्ता** की ओर से मु.अ.सं० 302/2024, अन्तर्गत धारा 323, 308, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली, जिला महराजगंज में जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना करते हुए दाखिल किया गया द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र, माननीय संजय कुमार सिंह, न्यायमूर्ति द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र सं० 29066/2025 में दि० 23.08.2025 को पारित आदेश द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. संक्षेप में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट आरोपों के अनुसार, अभियुक्त-आवेदक, एक नामजद एवं दो अज्ञात व्यक्तियों ने घायल राजू यादव एवं दुर्गावती देवी को चोट पहुँचाई।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ अंकित है, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में घायल व्यक्तियों को चोट पहुँचाने के सम्बन्ध में उसकी कोई पृथक भूमिका स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं की गई है। विचारण की कार्यवाही के दौरान पी.डब्ल्यू.-1 राजू यादव का कथन अभिलिखित किया गया है। यद्यपि उन्होंने परीक्षण-मुख्य में अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन किया, किन्तु उन्होंने प्रतिपरीक्षण में अभियोजन कथानक का स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं किया। तथापि, अन्य घायल दुर्गावती देवी विचारण में सहयोग नहीं कर रही हैं, वह फरार हैं और उनके विरुद्ध जमानती वारंट पहले ही जारी किया जा चुका है। विचारण न्यायालय का आदेश-पत्र पूरक शपथपत्र के साथ संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। दि० 21.02.2026 को रु० 10,000/- सहित जमानती वारंट दुर्गावती देवी के विरुद्ध जारी किया गया है, जो इस प्रकरण में कथित रूप से घायल साक्षी बताई जाती हैं। अभियुक्त-आवेदक सम्बन्धित विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण की कार्यवाही में सहयोग कर रहा है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दि० 30.07.2025 से कारागार में है। यह तर्क किया गया कि विचारण का निष्कर्ष पर्याप्त समय लेगा और जमानत पर मुक्त होने की दशा में न्याय के मार्ग से भागने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई।

6. विद्वान सूचक के अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का यह तर्क देते हुए विरोध किया कि विचारण-पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषिता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः वह किसी भी अनुग्रह का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाता है तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. उपरोक्त उल्लिखित पक्षकारों के कथनों पर विचार करने के उपरान्त तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि यद्यपि अभियुक्त-आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, किन्तु घायल पी.डब्ल्यू.-1 राजू यादव के कथन में अभियुक्त-आवेदक एवं उसकी माता गीता देवी के विरुद्ध सामान्य एवं संयुक्त भूमिका अंकित की गई है, घायल राजू यादव ने कहा कि अभियुक्त-आवेदक और उसकी माता ने उसे पीछे से चोट पहुँचाई, उसने इस प्रकरण में आवेदक की पृथक भूमिका विनिर्दिष्ट नहीं की है, आवेदक दि० 30.07.2025 से कारागार में निरुद्ध है, अर्थात् वह सात माह से अधिक अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, दुर्गावती, जो कथित घायल बताई जाती हैं, फरार हैं, वे विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई हैं, इसलिए उनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया है तथा विचारण के निष्कर्ष के सम्बन्ध में अनिश्चितता को दृष्टिगत रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के वृहत् अधिदेश को दृष्टिगत रखते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) लॉसूट 677** में माननीय उच्चतम न्यायालय के पैराग्राफ सं० 53 पर विचार करते हुए, **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एस.सी.सी. 713 एवं सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य (2022) 10 एस.सी.सी. 51** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक को उपरोक्त अपराध में निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त किया जाये:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा अथवा साक्षियों को धमकी नहीं देगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं माँगेगा।
- (iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः अथवा सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुसार उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले की सुनवाई, (ii) आरोप विरचन एवं (iii) उसके विरुद्ध साक्ष्य में परिलक्षित परिस्थितियों की व्याख्या करने हेतु व्यक्तिशः कथन अभिलेखन की तिथियों पर व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा।

(v) विचारण के दौरान यदि आवेदक जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करे और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कड़ाई से कार्यवाही करेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, वह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. बंध-पत्र स्वीकार किये जाने से पूर्व आवेदक एवं प्रतिभुओं की पहचान एवं निवास प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाये।

(न्यायमूर्ति सन्तोष राय)

17 मार्च, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"